राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–पालडी जोड

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 97/2012
तारीख दायरा 05.11.2012
तारीख फैसला 12.05.2016

वादीगण–

1–पवनीदेवी पुत्री रामाजी
पत्नी हंसारामजी जाति मीणा
निवासी बापूनगर हाल कोठार
तहसील बाली

2–शांतिदेवी पुत्री रामाजी
पत्नी गलबाजी जाति मीणा
निवासी बापूनगर हाल फतापुरा
तहसील सुमेरपुर

3–स्व.कंकुदेवी पुत्री रामाजी
पत्नी करतारामजी के का.मु.–
चुन्नीलाल पुत्र करतारामजी
जाति मीणा निवासी बापूनगर
हाल धुब्राना तहसील शिवगंज

बनामः

प्रतिवादीगण–

1–ओटाराम पुत्र पूनाजी
2–तलसाराम पुत्र पूनाजी
3–बबलाराम पुत्र पूनाजी
4–कानाराम पुत्र पूनाजी
5–जवानाराम पुत्र नरसाजी
6–शंकरलाल पुत्र नरसाजी
7–सोनाराम पुत्र नरसाजी
8–रावाराम पुत्र नरसाजी
9–श्रीमती दलू पत्नी नरसाजी
जातिगण मीणा निवासी बापूनगर
10–राजस्थान सरकार जरिए

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट,1955

–: फैसला :–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र पालडी जोड में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। कथित प्रकरण संबंधित पटवारी पालडी जोड, भू–अभिलेख निरीक्षक पालडी जोड व तहसीलदार सुमेरपुर ने वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत वस्तुस्थिति की रिपोर्ट पेश की, जिसे रेकर्ड पर लिया गया। हमने, पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध सरहद मौजा बापूनगर तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि हाल खसरा न. 1480 से 1484 व 1508 से 1510 कुल रकबा 4.71 हेक्टर के बारे में बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, परन्तुक पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार की उपरोक्त रिपोर्ट से जाहिर है कि वादीगणों द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत अपना तमाम हिस्सा पंजीबद्ध दस्तावेज द्वारा अन्यत्र को बैचान करने पर नामान्तकरण सं. 430 दिनांक 15.06.2015 के जरिए खरीदकर्त्ता के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया है। वादीगण व उनके अधिवक्ता ने कथित रिपोर्ट तथ्य का प्रतिरोध किया है, जबकि कथित जांच रिपोर्ट के साथ प्रश्नगत् म्युटेशन की छाया प्रति पेश की है। इस प्रकार उल्लेखित विवेचन तथ्यों पर विचारण करने के बाद हमारे विधिक विचारों में वादीगण का कथित वादपत्र विधिक प्रावधान अन्तर्गत आदेश–7, नियम–11 सी.पी.सी. के तहत प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाना उचित समझते है।

(2) कि उल्लेखित विश्लेषण एवं विवेचन तथ्यों के परिणाम स्वरूप वादीगण का कथित वादपत्र वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत विधिक प्रावधान अन्तर्गत आदेश–7, नियम–11 सी.पी.सी. के तहत प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। माफिक फैसला डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

फैसला बरोज आज दिनांक 12.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प पालडी जोड में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली (राज)

Scanned by CamScanner